❖ 'गुंडे' की तरह 'पुलिस' ने थाने में 'पत्रकार' को 'पिटा' 2
❖ 'आगामी चुनाव को लेकर डीएम ने ली बैठक 5
❖ एयरपोर्ट बिजनेस में 60,000 करोड़ निवेश करेगा अडानी ग्रुप 7
❖ रवीना ने किया 100 ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतजाम 12

अखबार वो जो दिखाता है सच

हिन्दी दैनिक

तेजयुग न्यूज़

स्थापना दिवस 2024

www.tejyug.com

• वर्ष/year : 01 • अंक/issu : 71 • पृष्ठ/page 12 • मूल्य/rate : 3 ₹

• मंगलवार, 12 मार्च, 2024
• Tuesday, 12 March, 2024

हापुड़ से प्रकाशित/ Published From Hapur

UPHIN/2023/51292

देश में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू, नोटिफिकेशन जारी

पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिमों को नागरिकता मिलेगी

तेजयुग न्यूज

नई दिल्ली(एजेंसी)। केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब ये कानून देशभर में लागू हो गया है। हिंदी में इसे नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।

सीएए के ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका ड्राई रन भी कर लिया है। सूत्रों ने कहा कि उअअ इन पड़ोसी देशों के उन शरणार्थियों की मदद करेगा जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं। मंत्रालय को लंबी अवधि के वीजा के लिए सबसे ज्यादा आवेदन पाकिस्तान से मिले हैं। गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह दो महीने में दो बार कह चुके थे कि सीएए लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। यह देश का कानून है। इसे कोई रोक नहीं सकता। संसद ने सीएए पर 11 दिसंबर 2019 को मुहर लगाई थी। हालांकि, सरकार इस कानून को लागू करने के लिए नियम-कायदे बनाने की समय सीमा 8 बार बढ़ा चुकी है।

शाह ने कहा था- लोकसभा चुनाव के पहले लागू होगा

गृह मंत्री अमित शाह ने 10 फरवरी को कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएए देश का एक्ट है, इसे हम यकीनन नोटिफाई करेंगे। इसे चुनाव से पहले नोटिफाई किया जाएगा और चुनाव से पहले इसे लागू भी किया जाएगा। इसे लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।

किसे मिलेगी नागरिकता:

इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन तीन देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे।

आवेदन के वेरिफिकेशन की प्रोसेस तय समय में पूरी होगी–नागरिकता के लिए आने वाले आवेदनों की सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से प्रोसेसिंग होगी। दस्तावेज की ऑनलाइन जांच और सुरक्षा एजेंसियों की क्लीयरेंस के बाद नागरिकता प्रमाण पत्र जारी होगा। यह पूरी प्रक्रिया पासपोर्ट जारी करने के समान होगी।

भारतीय नागरिकों को प्रभावित नहीं करेगा

भारतीय नागरिकों से इसका कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। सीएए या कोई कानून इसे नहीं छीन सकता।आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। आवेदकों को बताना होगा कि वे भारत कब आए। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज नहीं होंगे, तब भी आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि पांच साल से अधिक रखी गई है। अन्य विदेशियों (मुस्लिम) के लिए यह समय अवधि 11 साल से अधिक है।

सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की दलीलों को साफ नकार दिया

चौबीस घंटे में सारी सूचनाएं पेश करें

तेजयुग न्यूज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड के बारे में विवरण का खुलासा करने में देरी पर सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक को फटकार लगाई और कहा कि उसे बैंक से कुछ स्पष्टवादिता की उम्मीद है, जो इस योजना के तहत अधिकृत वित्तीय संस्थान है।

अदालत ने कहा, हमारा फैसला 15 फरवरी को है। हम 11 मार्च को हैं। पिछले 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए हैं? कुछ भी नहीं बताया गया है। इसका खुलासा किया जाना चाहिए था। पिछले 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए हैं? आपका आवेदन है उस पर चुप है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, हम भारतीय स्टेट बैंक से कुछ स्पष्टवादिता की उम्मीद करते हैं। राष्ट्रीय बैंक ने शीर्ष अदालत से कहा कि उसे भारत के चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण जमा करने के लिए समय चाहिए क्योंकि वह अभी भी डेटा एकत्र कर रहा है। चुनाव आयोग को चुनावी बांड विवरण प्रकट करने के लिए 30 जून तक का समय मांगने वाले एसबीआई के आवेदन को खारिज करते हुए, सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों वाली एससी बेंच ने बैंक को कल तक सभी विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया।

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने एसबीआई को नोटिस दिया कि यदि बैंक ऐसा करने में विफल रहा तो शीर्ष अदालत अपने 15 फरवरी के फैसले की 'जानबूझकर अवज्ञा' करने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इसके निदेर्शों और समयसीमा का अनुपालन करें। इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने चुनाव आयोग को एसबीआई द्वारा साझा की गई जानकारी को 15 मार्च से पहले प्रकाशित करने का निर्देश दिया।

- जनता के अधिकार का हनन नहीं
- इतने दिनों तक बैंक ने क्या किया है
- टाला तो अवमानना की कार्रवाई होगी

शीर्ष अदालत एसबीआई द्वारा पिछले महीने योजना समाप्त होने से पहले राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक विस्तार की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान, पीठ ने एसबीआई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे की दलीलों पर ध्यान दिया कि विवरण एकत्र करने और उनका मिलान करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता है क्योंकि जानकारी इसकी शाखाओं के साथ दो अलग-अलग साइलो में रखी गई थी। उन्होंने कहा कि यदि मिलान प्रक्रिया को खत्म करना है तो एसबीआई तीन सप्ताह के भीतर यह प्रक्रिया पूरी कर सकता है। पीठ ने कहा कि उसने बैंक को दानदाताओं और दान प्राप्तकर्ताओं के विवरण का अन्य जानकारी से मिलान करने का निर्देश नहीं दिया है।

हापुड़ पारा अपडेट

मैक्सिमम	मिनीमम
22.00°C°C	11.00 °C°C

सूर्यास्त (आज) ›› 17 .10 बजे

सूर्योदय (कल) ›› 06 .25 बजे

पश्चिम बंगाल के मैदान में तीन बड़े बाहरी चेहरे, दो बिहारी पर दांव लगाया टीएमसी ने

कोलकाता: टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आसनसोल और बर्दवान-दुर्गापुर लोकसभा सीटों पर जीत के लिए बिहार के दो सेलिब्रिटी उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। संयोग से दोनों भाजपा के पूर्व लोकसभा सांसद थे और बाद में उन्होंने भगवा ब्रिगेड छोड़ दी, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा भी केंद्रीय मंत्री थे। शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से और कीर्ति आजाद बर्दवान,दुर्गापुर से चुनाव लड़ेंगे। इनके अलावा प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी युसूफ पठान को भी पार्टी ने टिकट दिया है। यह स्पष्ट है कि पश्चिम बर्दवान की नौ विधानसभा सीटों में बड़े हिंदी भाषी वोट बैंक को लुभाने के लिए, ममता बनर्जी दो की स्टार शक्ति पर निर्भर हैं पत बॉलीवुड के दिग्गज शत्रुघ्न सिन्हा और क्रिकेट आइकन कीर्ति आजाद, जो कपिल देव की 1983 का हिस्सा थे पूर्डशियल विश्व कप विजेता टीम के हिस्सा थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वह आसनसोल सांसद के तौर पर अपना रिपोर्ट कार्ड पहले ही प्रकाशित कर चुके हैं।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विश्व के सबसे बड़े साहित्योत्सव की शुरुआत

नयी दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को विश्व के सबसे बड़े साहित्योत्सव की शुरुआत की गयी, जिसमें 175 से अधिक भाषाओं के 1100 से ज्यादा लेखक और विद्वान हिस्सा लेंगे। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने सप्ताह भर तक चलने वाले इस साहित्योत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा कि साहित्य लेखन एक अलग ही कला है और साहित्यकार एक साधक होता है। साधक साहित्यकार ही एक बेहतर संस्कृति का, एक बेहतर समाज का और एक बेहतर देश का निर्माण करते हैं। उन्होंने मैथिलीशरण गुप्त और अन्य कवियों की पंक्तियों का उदाहरण देते हुए कहा कि साहित्य मनुष्य में विवेक पैदा करता है, जिसकी राष्ट्र-निर्माण में बड़ी भूमिका होती है। साहित्य अकादेमी के सचिव के. श्रीनिवासराव ने साहित्य अकादेमी की विगत वर्ष की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि यह साहित्य अकादेमी का 70वां वर्ष और साहित्योत्सव का 40वां वर्ष हैं।

प्रो. साईबाबा को बरी करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने माओवादियों से कथित संबंधों के मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रो. जी एन साईबाबा और पांच अन्य को बरी करने के आदेश पर रोक लगाने से सोमवार को यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इस संबंध में बांबे उच्च न्यायालय का फैसला प्रथम दृष्टया बहुत तर्कसंगत है, जिसे पलटने की कोई जल्दी नहीं हो सकती। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, फैसला (उच्च न्यायालय का) प्रथम दृष्टया बहुत तर्कसंगत है। पीठ ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की इस गुहार पर कि वह (सरकार) कुछ दस्तावेज रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहेंगे, कहा कि वह इसकी अनुमति देगी।

प्रधानमंत्री ने द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का शुभारंभ किया

इस इलाके के यात्रा अनुभव अब बेहतर होगा : नरेंद्र मोदी

तेजयुग न्यूज

नईदिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का शुभारंभ किया। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक रोड शो के बाद गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन किया और कहा कि 9,000 करोड़ रुपये की परियोजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाएगी।

यह एनसीआर में लोगों के जीवन की दिशा बदल देगा। पहले की सरकारें छोटी-छोटी परियोजनाओं का उद्घाटन कर पांच महीने तक उसका बखान करती थीं। जबकि भाजपा विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन कर रही है,

- समस्या को अवसर बनाना ही मोदी की गारंटी
- खट्टर जी के साथ मोटरसाइकिल से चलते थे
- कांग्रेस को अहंकारी गठबंधन बताया मंच से

हमारे पास उन सभी का अनावरण करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। 2024 को अभी तीन महीने भी नहीं बीते हैं और अब तक 10 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं का या तो उद्घाटन हो चुका है या फिर उनका शिलान्यास हो चुका है। चुनौतियों और अवसरों के बीच अंतर यह है कि आप उन्हें कैसे देखते हैं। समस्याओं को अवसर में बदलना ही मोदी की गारंटी है।

इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और गुड़गांव के सांसद राव इंद्रजीत सिंह मौजूद रहे। पीएम मोदी ने गुड़गांव के एक असुरक्षित क्षेत्र से व्यवसायों वाले क्षेत्र और एनसीआर में सबसे तेजी से बढ़ते शहर में परिवर्तन को याद किया। यह एक्सप्रेसवे हवाई अड्डे तक बेहतर पहुंच बनाने में मदद करेगा। यह एनसीआर को बेहतर ढंग से एकीकृत करेगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। जब यह दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा, तो यह एक नया अध्याय शुरू करेगा।

आंदोलन को अब व्यापक बनाने की तैयारी में जुटे किसान

आगामी 14 मार्च को रामलीला मैदान में महापंचायत आयोजित

तेजयुग न्यूज

नई दिल्ली: एसकेएम की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय 14 मार्च को रामलीला मैदान में एक विशाल महापंचायत आयोजित करना था। सीटीयू ने घोषणा की कि वह भी एकजुटता के साथ इस महापंचायत के लिए जुटेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि 14 मार्च का कार्यक्रम एक बड़ी सफलता है, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे उत्तर भारतीय राज्यों से बड़े पैमाने पर जुटना सुनिश्चित करने के लिए तीव्र तैयारी चल रही है। अन्य राज्यों से भी प्रतिनिधियों का जमावड़ा होगा। यह देखना होगा कि सत्तावादी मोदी शासन की प्रतिक्रिया क्या होगी, लेकिन एसकेएम ने महापंचायत के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है, चाहे कुछ भी हो जाए।

- विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे उत्तर भारतीय राज्यों से बड़े पैमाने पर जुटना सुनिश्चित करने के लिए तीव्र तैयारी चल रही है

22 फरवरी को एसकेएम चंडीगढ़ की बैठक में लिए गए अन्य प्रमुख निर्णय थे शुभकरण सिंह की पुलिस हत्या की निंदा करते हुए राष्ट्रव्यापी काला दिवस विरोध प्रदर्शन; और 26 फरवरी को पूरे देश में प्रदर्शन हुए, जिस दिन अबू धाबी में डब्ल्यूटीओ का मंत्रिस्तरीय शिखर सम्मेलन शुरू हुआ था, ताकि लाभकारी एमएसपी और एक मजबूत और सार्वभौमिक पीडीएस की मांगों को कमजोर करने के लिए डब्ल्यूटीओ के आदेशों के प्रति भारत के किसी भी संभावित आत्मसमर्पण के खिलाफ चेतावनी दी जा सके। इन दोनों विरोध प्रदर्शनों में पूरे देश में हजारों किसानों ने भाग लिया।

कूनो में चीतों का कुनबा बढ़ा

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कल कहा कि महत्वाकांक्षी पुनरुत्पादन परियोजना के तहत दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाई गई पांच वर्षीय चीता ने पांच शावकों को जन्म दिया है। इसके साथ, कूनो पार्क में भारतीय मूल के शावकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है, जबकि शावकों सहित चीतों की कुल संख्या 26 है। हाई फाइव, कूनो ! दक्षिण अफ्रीका के त्वालु कालाहारी रिजर्व से लाई गई मादा चीता गामिनी, उम्र लगभग 5 वर्ष, ने आज 5 शावकों को जन्म दिया है। इससे भारत में जन्मे शावकों की संख्या 13 हो गई है। यह भारतीय धरती पर चीता का चौथा बच्चा है और दक्षिण अफ्रीका से लाया गया चीता का पहला बच्चा है,। श्री यादव ने एक्स, पूर्व में ट्विटर पर कहा। सभी को बधाई, विशेष रूप से वन अधिकारियों, पशु चिकित्सकों और फील्ड स्टाफ की टीम को जिन्होंने चीतों के लिए तनाव मुक्त वातावरण सुनिश्चित किया है, जिससे शावकों का जन्म हुआ है। कूनो में शावकों सहित चीतों की कुल संख्या राष्ट्रीय उद्यान, 26 है। गामिनी की विरासत आगे बढ़ रही है: उसके प्यारे शावकों का परिचय, वन मंत्री ने कहा। नामीबियाई चीता ज्वाला ने 20 जनवरी को चार शावकों को जन्म दिया और एक अन्य नामीबियाई चीता आशा ने उस महीने की शुरूआत में तीन शावकों को जन्म दिया।

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा सरकार की नई चाल

चार साल के बाद लागू किया गया सीएए

तेजयुग न्यूज

नईदिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू करने की घोषणा की। यह कदम 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने से पहले आया है। सीएए 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र का एक अभिन्न अंग था।

भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद 11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा यह अधिनियम लागू किया गया था। इस मुद्दे पर पूरे भारत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ है, कुछ दलों ने कानून को विभाजनकारी बताया है। सरकार ने इस तरह की कहानियों को खारिज कर दिया है और सीएए को देश का कानून कहा है जिसे लागू किया जाएगा। पिछले महीने एक बिजनेस समिट में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीएए नियम लोकसभा चुनाव से पहले लागू किए जाएंगे। उन्होंने तभी कहा था, हमारे मुस्लिम

भाइयों को गुमराह किया जा रहा है और उकसाया जा रहा है। सीएए केवल उन लोगों को नागरिकता देने के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए थे।

यह किसी की भारतीय नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। नियमों की अधिसूचना पड़ोसी देशों के प्रवासियों के लिए भारत में नागरिकता पाने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए तैयार है। सीएए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदायों ने अपने गृह देशों में धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था। सीएए इन पड़ोसी देशों के शरणार्थियों की मदद करेगा, जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं। गुवाहाटी से हमारे संवाददाता के मुताबिक असम तृणमूल कांग्रेस असम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले 16-पक्षीय संयुक्त विपक्षी मंच का हिस्सा है, जो नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के आसन्न कार्यान्वयन का विरोध करता है।